Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 13 जनवरी, 2020

drishtiias.com/hindi/printpdf/rapid-fire-current-affairs-13-january-2020

कलकत्ता पोर्ट का नाम परिवर्तन

कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कर दिया गया है। हाल ही में कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगाँठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में यह निर्णय लिया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किये। ज्ञात हो कि 6 जुलाई, 1901 को कलकत्ता में जन्मे श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक प्रसिद्ध राजनेता, शिक्षाविद् व बैरिस्टर थे। वे पंडित जवाहरलाल नेहरु की सरकार में उद्योग व आपूर्ति मंत्री रहे और जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर पंडित नेहरु से मतभेद के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हो गए। वर्ष 1951 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की सहायता से भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जिससे बाद में भारतीय जनता पार्टी (BJP) अस्तित्व में आई।

विश्व भविष्य उर्जा शिखर सम्मेलन

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की राजधानी अबू धाबी में 13 जनवरी, 2020 को विश्व भविष्य उर्जा शिखर सम्मेलन (World Future Energy Summit) की शुरुआत की गई है। गौरतलब है कि यह शिखर सम्मेलन चार दिन तक चलेगा। भविष्य की ऊर्जा से संबंधित इस सम्मेलन में 170 देशों के 33,500 प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय है- ऊर्जा के वैश्विक उपभोग, उत्पादन और निवेश पर पुनर्विचार। यह शिखर सम्मेलन प्रत्येक वर्ष अबू धाबी के राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र पर आयोजित किया जाता है।

जसप्रीत बुमराह पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित

भारतीय टीम के तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह को 2018-19 सत्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के लिये प्रतिष्ठित पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 26 वर्षीय गेंदबाज़ बुमराह को BCCI के वार्षिक समारोह के दौरान ये पुरस्कार दिया गया। एक दिवसीय क्रिकेट में विश्व के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ बुमराह ने जनवरी 2018 में भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे पर टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। पॉली उमरीगर अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर को बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिये प्रदान किया जाता है, इस पुरस्कार के विजेता को एक ट्रॉफी और 15 लाख रुपए दिये जाते हैं।

ड्रोन और उनके संचालकों का स्वैच्छिक पंजीकरण

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी ड्रोन और उनके संचालकों के स्वैच्छिक पंजीकरण हेतु 31 जनवरी तक एक विंडो उपलब्ध कराने की योजना की घोषणा की है। मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि जो लोग इस अवधि के भीतर पंजीकरण नहीं कराएँगे उनके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता और विमानन कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन के बारे में फिक्की की एक

समिति ने अनुमान व्यक्त किया है कि पिछले वर्ष भारत में गैर कानूनी ड्रोन की संख्या 50 से 60 हजार के बीच में रही थी।